



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-24012025-260430
CG-TL-E-24012025-260430

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2025/माघ 2, 1946

No. 378]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2025/MAGHA 2, 1946

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)
अधिसूचना

सिकंदराबाद, 12 दिसम्बर, 2024

का.आ. 382(अ).—केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, स्टेशनों के बीच 1989 की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा, “पेद्दपल्ली राघवपुरम किमी. 284/40-44 पर समपार फाटक सं. 45 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए तेलंगाना राज्य के पेद्दपल्ली ज़िला में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. W.Con/RSP/Gazette /37A/LC.No.45/KZJ-BPQ/SC]
मनोज कुमार, मुख्य इंजीनियर /निर्माण/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 12th December, 2024

S.O. 382(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No.45 at Km.284/40-44 in between Peddapalli and Raghavapuram stations" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Telangana in the District of Peddapalli for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. W.Con/RSP/Gazette /37A/LC.No.45/KZJ-BPQ/SC]

MANOJ KUMAR, Chief Engineer/C/RSP